भावी शिक्षक एवं रिफ़्लेक्शन – एक दृष्टिकोण
(एन.सी.टी.ई. रेग्यूलेशन– 2014 के आलोक में)

जितेन्द्र कुमार पाटीदार*

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा रेग्यूलेशन, 2014 के आधार पर शिक्षक-शिक्षा प्रोग्रामों को नया स्वरूप प्रदान किया गया है। इन शिक्षक-शिक्षा प्रोग्रामों के माध्यम से संवैधानिक सिद्धांतों एवं भौतिक लक्ष्यों तक पहुँचने का प्रयास किया गया है। जिसमें भावी शिक्षकों या विद्यार्थी-शिक्षकों को रिफ़्लेक्टिव शिक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जो आर.टी.ई. एक्ट-2009 की धारा 29 के अनुसार अपेक्षित योग्य एवं कुशल शिक्षकों को तैयार करने में मदद करेगी। रिफ़्लेक्टिव शिक्षक बनाने में शिक्षक-शिक्षा प्रोग्राम, विद्यार्थी-शिक्षक को विभिन्न स्तरों पर स्वयं, विद्यार्थी, समुदाय एवं विद्यालय से विभिन्न पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों के माध्यम से जोड़ते हैं। इस प्रकार इन प्रोग्रामों का उद्देश्य विद्यार्थी-शिक्षकों को विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन को सुगम बनाने वाले शिक्षक बनाना है। अब हमें यह समझना ज़रूरी है कि रिफ़्लेक्टिव शिक्षण क्या है? रिफ़्लेक्टिव शिक्षण कैसा हो? रिफ़्लेक्टिव शिक्षण के लिए विद्यालय या कक्षा-कक्ष का वातावरण कैसा हो? विद्यार्थी-शिक्षक कैसे जाने की वह रिफ़्लेक्टिव शिक्षण कर रहा है या नहीं? इस तरह के कई प्रश्न हैं जिन पर इस लेख के माध्यम से चर्चा की गई है।

किसी भी समाज के लोकतांत्रिक होने की कसौटी यह है कि उसमें हर व्यक्ति को उसकी क्षमतानुसार शिक्षा प्रदान की जाए। उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, संप्रदाय, वर्ग, रंग, जाति, जनजाति, जेंडर, भाषा या बोली, क्षेत्र तथा शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्बलता (विशेष समूह के व्यक्तियों) के आधार पर भेद नहीं हो। इस प्रकार शिक्षा की भूमिका यह है कि वह विद्यार्थियों में विविधता का सम्मान करने के साथ-साथ समूह में रहने की रूपरेखा तथा तनावों का शांतिपूर्ण एवं न्यायपूर्ण समाधान करने का कौशल विकसित करे।

**सहायक प्राध्यापक,* अध्यापक शिक्षा विभाग, एन.सी.ई.आर.टी. नयी दिल्ली-110016

लेकिन शिक्षक-शिक्षा की वर्तमान दुर्बल और दयनीय स्थिति से प्रत्येक व्यक्ति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से परिचित है। जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित जस्टिस वर्मा आयोग (2012) ने अपनी रिपोर्ट द्वारा वैधानिक रूप से प्रमाणित किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि शिक्षक शिक्षा के वर्तमान में चलने वाले प्रमुख कोर्सों में पारंपरिक ढंग से ज्ञान का कुछ अंश ही शामिल किया जाता है, जो न तो शिक्षा के बड़े लक्ष्यों व विषय को ज्ञान से जोड़ता है और न ही कक्षा-कक्ष की वास्तविक स्थिति से। अत: जस्टिस वर्मा आयोग द्वारा दिए गए सुझावों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को राज्य सरकारों के साथ मिलकर वास्तविक रूप में अमल करने के लिए निर्देशित किया गया है। इन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) द्वारा रेग्यूलेशन,** 2014 के आधार पर शिक्षक शिक्षा प्रोग्रामों को नया स्वरूप प्रदान किया गया है। जिसमें भावी शिक्षकों या विद्यार्थी-शिक्षकों को रिफ़्लेक्टिव शिक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

रिफ़्लेक्टिव शिक्षण, सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा व सेवाकालीन शिक्षक शिक्षा दोनों के लिए अत्यंत आवश्यक है। परंतु लेखक का मुख्य फ़ोकस सेवा-पूर्व शिक्षक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी-शिक्षकों से है। जिन्हें अच्छा शिक्षक बनने के लिए रिफ़्लेक्टिव शिक्षण आना अति आवश्यतक है। इसका सबसे बड़ा वैधानिक आधार जस्टिस वर्मा आयोग (2012) की रिपोर्ट है। जिसमें परंपरागत शिक्षक शिक्षा का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि वर्तमान शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम विद्यार्थी- शिक्षक को कक्षा-कक्ष की वास्तविक स्थिति से नहीं जोड़ते। इसके अलावा आर.टी.ई. एक्ट-2009 द्वारा भी रिफ़्लेक्टिव शिक्षण या शिक्षक की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया है। आर.टी.ई. एक्ट-2009 की धारा 29 में रिफ़्लेक्टिव शिक्षक से पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया के अंतर्गत निम्नलिखित अपेक्षाएँ की गईं हैं कि वह–

- संविधान में प्रतिष्ठापित (Enshrined) मूल्यों से अनुरूपता करे
- बालक का सर्वांगीण विकास करे
- बालक के ज्ञान, अन्त: शक्ति (Potentiallity) और योग्यता (Talent) का विकास करें
- पूर्णतम मात्र (Fullest extent) तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं (Abilities) का विकास करे
- बाल अनुकूलन और बाल केंद्रित रीति से क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण करे (Learning through activities, discovery and exploration in a child friendly and child-centered mannerred)
- शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में हो, यह सुनिश्चित करे
- बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिंतामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करे (making the child free for fear, trauma and anxiety and helping the child to express views freely)

- बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत् मूल्यांकन करे (Comprehensive and continious evaluation of child's understanding of knowledge and his or her ability to apply the same)

आर.टी.ई. एक्ट-2009 के क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व समुचित सरकार, स्थानीय प्राधिकारियों (पंचायतें, नगर निगम व नगर पालिकाएँ), विद्यालय एवं शिक्षक, विद्यालय प्रबंध समिति तथा माता-पिता या संरक्षक का है, जिनसे एक्ट की धाराओं एवं दिशा निर्देशों के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले प्रत्येक बालक की प्रारंभिक शिक्षा पूरी कराना अपेक्षित है। लेकिन अभी भी राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारियों (पंचायतें, नगर निगम व नगर पालिकाएँ) को योग्य रिफ़्लेक्टिव शिक्षक नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा देश में लगभग 90 प्रतिशत प्राईवेट पूर्व-सेवा शिक्षक शिक्षा संस्थान हैं, जिनमें से अधिकतर शिक्षक शिक्षा संस्थान केवल डिप्लोमा या डिग्री उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। इसका अनुमान सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा (CTET) सितम्बर, 2014 के परिणाम से लगाया जा सकता है, जिसमें केवल 05.63 प्रतिशत प्रतिभागी सफ़ल हुए (http://careervendor.com/results/ctet-result-sept-2014-exam/)। यह रेग्यूलेशन, 2014 के पूर्व के शिक्षक शिक्षा प्रोग्रामों तथा विद्यार्थी- शिक्षकों की उपलब्धि एवं निष्पादन को दर्शाता है अर्थात् रिफ़्लेक्ट करता है। देश में आर.टी.ई. एक्ट-2009 लागू होने के पश्चात् (अप्रैल, 2010) अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करना आवश्यक हो गया है, ताकि योग्य शिक्षकों का चयन किया जा सके। ऐसे में राज्य सरकारों के लिए न्यूनतम अहर्ता प्राप्त योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करना और भी जटिल समस्या हो गई है। अत: राज्य सरकारें बिना रिफ़्लेक्टिव शिक्षक के समावेशी शिक्षा प्रदान कर पाने में असमर्थ हैं।

रिफ़्लेक्टिव शिक्षक बनाने में शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम, विद्यार्थी- शिक्षक को विभिन्न स्तरों पर स्वयं, विद्यार्थी, समुदाय एवं विद्यालय से विभिन्न पाठ्यचर्यात्मक क्षेत्रों के माध्यम से जोड़ती है। इस प्रकार शिक्षक शिक्षा प्रोग्रामों का उद्देश्यों विद्यार्थी-शिक्षकों को विद्यार्थियों के ज्ञान सृजन को सुगम बनाने वाले शिक्षक बनाना है। शिक्षक शिक्षा के प्रोग्रामों में विद्यालय इंटर्नशिप की अवधि 15-16 सप्ताह निर्धारित की गई है। जिसका लक्ष्य विद्यार्थी- शिक्षकों को अर्थपूर्ण एवं पूर्णता (अर्थात् विद्यालय की पाठ्यचर्यात्मक गतिविधियों के साथ-साथ मानवीय, वित्तीय एवं भौतिक संसाधनों का शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर प्रभाव का आलोचनात्मक चिंतन विकसित करना है) में विद्यालय एवं विद्यार्थियों के साथ जोड़ना है। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी-शिक्षकों में, ज्ञान के व्यापक स्वरूप का भंडार (अर्थात् सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में विषयवस्तु एवं अनुभव से प्राप्त ज्ञान का स्वरूप), पेशागत क्षमताओं, शिक्षक वार्तालाप, संवेदनशीलता तथा कौशलों का विकास होगा।

इंटर्नशिप के दौरान विद्यार्थी-शिक्षक एक नियमित शिक्षक की भाँति विद्यालय में कार्य करेगा। कक्षा में पढ़ाने से पहले, वह विद्यालय को पूर्णता

से समझने के लिए विद्यालय एवं कक्षाओं का एक सप्ताह तक अवलोकन करेगा तथा वह विद्यालय की सभी गतिविधियों जैसे– योजना, शिक्षण एवं आकलन तथा विद्यालयी शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं समुदाय के सदस्यों के साथ अंतर्क्रिया में सक्रिय भाग लेगा। जिसमें वह विद्यालय का दर्शन एवं लक्ष्य, संगठन एवं प्रबंधन; शिक्षक का विद्यालयी जीवन; विद्यार्थियों की शारीरिक, मानसिक एवं संवेदनशील विकास की आवश्यकताएँ; पाठ्यचर्या के घटकों एवं उनका शिक्षण; गुणवत्ता, शिक्षण तथा शिक्षण-अधिगम के आकलन का अवलोकन कर समझेगा।

वास्तव में इंटर्नशिप की ज़रूरत का मुख्य कारण विद्यार्थी-शिक्षक को शिक्षक शिक्षा संस्थानों से प्राप्त सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक रूप में विद्यालयी परिस्थितियों व परिवेश में (प्रायोगिक तौर पर) क्रियान्वित कर अनुभव प्राप्त करना या सीखना है। ताकि विद्यार्थी-शिक्षक, शिक्षक शिक्षा प्रोग्राम सफ़लतापूर्वक पूर्ण कर विद्यालय की वास्तविक परिस्थितियों में तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए रिफ़्लेक्टिव शिक्षण-अधिगम कर सके।

शिक्षक शिक्षा के प्रोग्रामों में विद्यार्थी-शिक्षक, शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपागमों का उपयोग या प्रयोग कर सकते हैं, जैसे– केस स्टडी, ग्रुप प्रेज़ेन्टेशन, प्रोजेक्ट, रिफ़्लेक्टिव जर्नलों (स्वयं के अनुभवों पर आधारित लेखों) पर चर्चा, विद्यार्थियों का अवलोकन, बहु सामाजिक-सांस्कृतिक वातावरण में समुदाय के साथ अंतर्क्रियाएँ आदि। इस प्रक्रिया से विद्यार्थी-शिक्षकों को स्व-चिंतन, पहचान, अंतर्वैयिक्तक संबंध के मुद्दों का अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही, उन्हें विद्यालय को एक सामाजिक परिवर्तन के अभिकरण के रूप में देखने, सुनने, सामाजिक संवेदनशीलता तथा सहानुभूति की क्षमता का विकास करने का अवसर भी मिलेगा।

अब हमें यह समझना ज़रूरी है कि रिफ़्लेक्टिव शिक्षण क्या है? रिफ़्लेक्टिव शिक्षण कैसा हो? रिफ़्लेक्टिव शिक्षण के लिए विद्यालय या कक्षा-कक्ष का वातावरण कैसा हो? विद्यार्थी-शिक्षक कैसे जाने की वह रिफ़्लेक्टिव शिक्षण कर रही है या नहीं? इस लेख के माध्यम से रिफ़्लेक्टिव शिक्षण के बारे में बताने का प्रयास किया गया है।

सर्वप्रथम रिफ़्लेक्टिव या रिफ़्लेक्शन का अर्थ जानना ज़रूरी है। शिक्षा के संदर्भ में रिफ़्लेक्शन अर्थात् हमारा ऐसा व्यवहार जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संदेश दे। रिफ़्लेक्शन में मनुष्य के दिमाग, दिल एवं हाथों के मध्य गहरे संबंध के साथ, अंतर्दृष्टि एवं क्रिया शामिल है। इस प्रकार रिफ़्लेक्शन मनुष्य की एक मानसिक या व्यावहारिक क्रिया है, जो किसी तरह के व्यवहार, विचार या चिंतन पर हो सकती है।

शिक्षकों के द्वारा किया जाने वाला रिफ़्लेक्शन शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से जुड़े प्रत्येक पहलु से संबंधित हो सकता है। अत: (शिक्षकों के) हमारे विद्यालय के अंदर एवं बाहर कई तरह के रिफ़्लेक्शन हो सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं–

1. हमारे व्यवहार एवं अभिव्यक्ति के तरीके जैसे– खुशी व दु:ख में हाव-भाव (संवेगात्मक

व्यवहार), बोलने के तरीके, लिखने के प्रकार, चित्रकारी करना, संगीत यंत्र बजाना, नृत्य करना, खेल-कूद, विशेष समूह के व्यक्तियों की देख-भाल आदि पर स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अवलोकन के आधार पर दिए गए फ़ीडबेक से प्राप्त रिफ़्लेक्शन।

2. हमारे आकलन एवं मूल्यांकन के आधार पर प्राप्त उपलब्धि व निष्पादन के परिणामों से प्राप्त रिफ़्लेक्शन।
3. स्वयं की ऑडियो एवं वीडियो रिकॉर्डिंग और रिफ़्लेक्टिव जर्नलों (स्वयं के अनुभवों पर आधारित लेखों) के आधार पर निष्पादन की जाँच परख से प्राप्त रिफ़्लेक्शन, आदि।

आधुनिक शिक्षा के जनक जॉन डीवी (1916) ने रिफ़्लेक्टिव शिक्षण के लिए कहा था कि 'शिक्षकों को अपनी टिप्पणियों, ज्ञान एवं अनुभव पर रिफ़्लेक्ट करने के लिए समय देना चाहिए। ताकि वे प्रत्येक बच्चे में प्रभावी रूप से अधिगम का पोषण कर सकें।' चोंन (schon1983), जिन्होंने डी.वी के कार्य पर आगे कार्य किया, ने पाया कि 'प्रभावी शिक्षक केवल रिफ़्लेक्ट नहीं करते बल्कि बच्चों के साथ कार्य करते हुए स्वाभाविक रूप से तत्परता से रिफ़्लेक्ट करते हैं।' उन्होंने इसे कार्य में रिफ़्लेक्शन (Reflection-in action) का नाम दिया। यह अत्यंत ज़रूरी है क्योंकि हर बच्चा और शिक्षण संदर्भ अलग होता है। सभी परिस्थितियों में या सभी शिक्षकों अथवा सभी बच्चों के लिए कोई एक तकनीक उपयुक्त नहीं हो सकती। इसके बजाय शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके लिए लगातार संवेदनशील, निपुण और रिफ़्लेक्टिव निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी आधार पर एन.सी.एफ.-2005 में भी रिफ़्लेक्टिव शिक्षण पर ज़ोर दिया गया।

लेखक का मानना है कि रिफ़्लेक्टिव शिक्षण, शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थी-शिक्षक द्वारा संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि तथा उनसे संबंधित विषयवस्तु में पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए; विषयवस्तु को उपयुक्त शिक्षण विधि द्वारा कक्षा में अंतर्क्रियात्मक तरीके से पढ़ाना है। यहाँ पर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से तात्पर्य विद्यार्थी-शिक्षक के द्वारा सीखने-सिखाने हेतु किए गए प्रयासों से है। साथ ही, उसके शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों से विद्यार्थियों ने विषयवस्तु के बारे में कितना सीखा; यह जानने के लिए आकलन की विविध प्रक्रियाओं का प्रयोग करना भी शामिल है। इसके अलावा, स्वयं के व्यवहार व पढ़ाने के तरीके, शिक्षण की उपयुक्त विधियों व आकलन की प्रक्रियाओं का चयन करने, कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता, कक्षा प्रबंधन आदि का भी आकलन करता है। अत: इस प्रक्रिया से प्राप्त फ़ीडबेक के आधार पर विद्यार्थी-शिक्षक अपनी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करता है।

अब हम रिफ़्लेक्टिव शिक्षण के महत्वपूर्ण घटकों पर चर्चा करेगें। जो इस प्रकार हैं–

- विद्यार्थियों की समझ
- विषय का ज्ञान व समझ
- शिक्षण के रचनात्मक उपागमों का उपयोग
- आकलन की विविध ¬प्रक्रियाएँ

- विद्यार्थियों की सहभागिता
- कक्षा-कक्ष प्रबंधन
- प्राचार्य या विद्यालय प्रशासन का सहयोग
- अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता

विद्यार्थियों की समझ

एक सामान्य कक्षा की शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में समावेशी शिक्षा प्रदान करने तथा रिफ़्लेक्टिव शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थी-शिक्षक को कक्षा के विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि – सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, शारीरिक व मानसिक - की समझ होना ज़रूरी है। क्योंकि कक्षा में विभिन्न संप्रदाय, वर्ग, रंग, जाति, जनजाति, जेंडर, भाषा या बोली, क्षेत्र तथा शारीरिक व मानसिक रूप से दुर्बल (विशेष समूह के) विद्यार्थी होते हैं। अत: विद्यार्थी-शिक्षक में कक्षा के सभी विद्यार्थियों की विविधता तथा उनके हितों का (बिना किसी भेदभाव के) सम्मान करते हुए समान शिक्षा प्रदान करने की समझ होना आवश्यक है।

इसके अलावा विद्यार्थी-शिक्षक को समावेशन को एक गतिशील उपागम के रूप में देखना होगा, जिसमें विद्यार्थियों की विविधता पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देना तथा व्यक्तिगत भिन्नता को एक समस्या के रूप में न देखकर, अधिगम में संवर्द्धन के लिए एक अवसर के रूप में देखना होगा। साथ ही, विद्यार्थियों की भाषागत पृष्ठभूमि के आधार पर कक्षा में बातचीत की प्रकृति, मौखिक भाषा, कक्षा में प्रश्न पूछने की प्रकृति एवं प्रश्नों के प्रकार आदि की समझ भी ज़रूरी है।

विषय का ज्ञान व समझ

रिफ़्लेक्टिव शिक्षण के अंतर्गत विद्यार्थी-शिक्षक कक्षा में जिस विषय की विषयवस्तु को पढ़ाने वाला है, उसका व्यापक ज्ञान व समझ होना आवश्यक है। साथ ही पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु के बारे में वैश्विक, स्थानीय व विद्यालयी परिवेश में उपलब्ध जानकारी को ज़रूर एकत्रित कर स्वयं को अपडेट करना होगा अर्थात् ज्ञान को विद्यालय के बाहरी जीवन तथा विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जुड़े अनुभवों से जोड़ने का प्रयास करना होगा। जिससे आप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की जिज्ञासा का उपयुक्त समाधान कर सकेंगे।

शिक्षण के रचनात्मक उपागमों का उपयोग

रिफ़्लेक्टिव शिक्षण में विद्यार्थी-शिक्षक को विद्यार्थियों की समझ तथा विषय का ज्ञान एवं समझ होने के साथ-साथ पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि व शिक्षण सहायक सामग्री का ज्ञान तथा प्रयोग करने की समझ होना आवश्यक है। इसके साथ ही, विद्यार्थी-शिक्षकों को यह भी स्वीकार करना होगा कि सभी तरह का शिक्षण, अधिगम को निर्देशित करता है तथा शिक्षण के केंद्र में विद्यार्थी होता है (होल्ट 1964)। क्योंकि शिक्षण का कार्य - मूल्य, शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य व्यक्तिगत संबंध, विद्यार्थियों के बीच संबंध, स्वायत्तता, आत्म-सम्मान एवं विद्यार्थियों को अनुभव व्यक्त करने की स्वतंत्रता देने के साथ उनके व्यक्तित्व से जुड़े सभी पहलुओं को आकार देना है।

क्योंकि विषय एवं विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन व प्रयोग कर विद्यार्थियों में पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु की व्यापक समझ विकसित की जा सकती है, अत: विद्यार्थियों को स्वयं अपना ज्ञान सृजित करने का अवसर मिल सकेगा। साथ ही, स्थानीय (समुदाय के सहयोग से) व विद्यालयी परिवेश में न्यूनतम लागत या नि:शुल्क उपलब्ध शिक्षण सहायक सामग्री का चयन व प्रयोग कर विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली विषयवस्तु के बारे में अधिकतम सिखा सकते हैं, अर्थात् पढ़ाई को रटंत प्रणाली से मुक्त करने का प्रयास कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री के एकत्रीकरण व प्रयोग में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता लेने से, विद्यार्थी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में रुचिपूर्वक अंतर्क्रिया कर सीखेंगे।

विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार विद्यार्थियों के शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने से, विद्यार्थी सामुदायिक क्रियाकलापों से जुड़कर सीखेंगे। इसके अलावा, जहाँ ज़रूरी हो वहाँ पर मल्टीमीडिया (आई. सी.टी.) संसाधनों जैसे – कंम्प्यूटर, इन्टरनेट, ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम (सी.डी./डी.वी.डी.), मोबाइल (स्मार्टफ़ोन) आदि का प्रयोग भी कर सकते हैं। इनकी सहायता से विद्यार्थी-शिक्षकों को शिक्षण-अधिगम के लिए तकनीकी संसाधनों का एकीकरण, अध्ययन सामग्री का विकास, बाँटने (शेयरिंग) व अधिगम के लिए सहयोगात्मक नेटवर्क विकसित करने में मदद मिलेगी।

आकलन की विविध - प्रक्रियाएँ

विद्यार्थी शिक्षक द्वारा कक्षा में पढ़ाई गई विषयवस्तु को विद्यार्थियों ने कितना समझा या सीखा\इसका आकलन करने के लिए विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त आकलन प्रक्रियाओं का प्रयोग करना होगा। जिससे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक पक्षों से जुड़ी उपलब्धि व निष्पादन का वस्तुनिष्ठ आकलन कर उनकी विषयवस्तु के प्रति समझ की वास्तविक स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आकलन की इस प्रक्रिया को ही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन (सी.सी.ई) कहते हैं, जो शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के साथ-साथ निरन्तर चलती रहती है। अत: इस प्रक्रिया को अपनाने से परीक्षा प्रणाली अधिक लचीली होगी।

चूँकि आकलन के केंद्र में विद्यार्थी है, इसलिए विद्यार्थी-शिक्षक को आकलन करते समय विद्यार्थी की पृष्ठभूमि, पहचान एवं अभिप्रेरणा पर ध्यान देना होगा। साथ ही उसे आकलन के माध्यम से श्रेष्ठ अधिगम, अभिप्रेरणा तथा स्व-आकलन के लिए विद्यार्थियों की मदद करनी होगी। तभी विद्यार्थियों में अधिगम के घटकों जैसे - ज्ञान, कौशल, मूल्य, विश्वास, अभिवृत्ति, आदतें आदि की पहचान की जा सकेगी।

इस प्रकार विद्यार्थी-शिक्षक आकलन की विविध प्रक्रियाओं से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को उनके पूर्ण निष्पादन की वास्तविक स्थिति से अवगत कर सकेंगे तथा उन्हें आगामी अध्ययन हेतु सकारात्मक सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा, आकलन की प्रक्रिया से

विद्यार्थी-शिक्षक को स्वयं द्वारा अपनाई गई शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया का विद्यार्थियों की उपलब्धि एवं निष्पादन के आधार पर फ़ीडबेक मिलेगा। जिससे वह अपने मज़बूत एवं कमज़ोर पक्षों की पहचान कर उचित सुधार व संवर्द्धन कर सकेगा।

अत: रिफ़्लेक्टिव विद्यार्थी-शिक्षक को आकलन की विविध प्रक्रियाओं का ज्ञान, समझ, प्रयोग, मापन तथा निष्कर्षों के आधार पर परिणाम निकालना आना चाहिए तथा प्राप्त परिणामों की व्याख्या कर विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को समझाना आना चाहिए।

विद्यार्थियों की सहभागिता

शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया तभी रिफ़्लेक्टिव हो सकती है, जब इसमें विद्यार्थियों की पूर्ण सक्रिय सहभागिता हो। अत: विद्यार्थी-शिक्षक में इस बात की क्षमता हो कि वह कक्षा का वातावरण अनुशासित एवं लोकतांत्रिक तथा अधिगम योग्य बना सके। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करे कि सभी विद्यार्थियों को अंतर्क्रिया का पूर्ण अवसर मिले। क्योंकि विद्यार्थी विविध स्थितियों जैसे– परिवेश, घर, विद्यालय, समुदाय, सहपाठी इत्यादि से अपने अनुभव प्राप्त कर सीखता है।

साथ ही, विद्यार्थियों में सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों एवं अंतर्वैयक्तिक संबंधों जैसे- विद्यार्थी-शिक्षक, विद्यार्थी-विद्यार्थी, विद्यार्थी-प्रशासन संबंध तथा विशेष समूह के विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशीलता व्यवहार का पोषण होगा। इसके अतिरिक्त उनमें आलोचनात्मक चिंतन (अपने ज्ञान व समझ को परखने का अवसर) एवं आत्मविश्वास की भावना का विकास भी होगा, जो उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।

कक्षा-कक्ष प्रबंधन

रिफ़्लेक्टिव शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत विद्यार्थी-शिक्षक में कक्षा-कक्ष प्रबंधन क्षमता होना आवश्यक है। क्योंकि कक्षा में रिफ़्लेक्टिव शिक्षण के दौरान अधिगम योग्य वातावरण तथा लचीली बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। जिससे विद्यार्थी-शिक्षक को कक्षा में विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग तथा समूह गतिविधि करवाने में सुविधा होगी।

इस कौशल से विद्यार्थी-शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की गतिविधियों पर नज़र रखते हुए उनका आकलन कर सकते हैं, तथा विद्यार्थियों को भी कक्षा में आने-जाने में सुविधा होगी। विद्यार्थी-शिक्षक को, कक्षा-कक्ष प्रबंधन में मानवीय अंतर्वैयक्तिक संबंधों (जैसे– विद्यार्थी-शिक्षक, विद्यार्थी-विद्यार्थी, विद्यार्थी-प्रशासन संबंध) एवं विशेष समूह के विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील व्यवहार तथा सहयोगात्मक आचरण पर ध्यान देना होगा। इसके साथ, कक्षा में प्रकाश एवं हवा की उचित व्यवस्था, बैठक (फ़र्नीचर) व्यवस्था, ब्लैक/व्हाइट बोर्ड, शिक्षण सहायक सामग्री व उपकरणों का रख-रखाव, चार्ट एवं पोस्टरों का प्रदर्शन, संदर्भ पाठ्य सामग्री का रख-रखाव (सीखने का कोना), स्वच्छता एवं सौंदर्य आदि का विद्यार्थियों के सक्रिय सहयोग से प्रबंधन करना होगा। इस प्रकार रुचिकर व अधिगम

योग्य वातावरण निर्मित करने से विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी तथा वे शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से अंतर्क्रिया करेंगे।

प्राचार्य या विद्यालयी प्रशासन का सहयोग

रिफ़्लेक्टिव शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में विद्यालयी प्रशासन की सबसे अहम भूमिका है। विद्यार्थी-शिक्षक द्वारा प्राचार्य या विद्यालयी प्रशासन को विद्यार्थियों के हित में की जाने वाली नवाचार शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया से अवगत कराना होगा तथा उनका इस नवाचार प्रक्रिया में सहयोग व सुझाव प्राप्त करना होगा। क्योंकि ऐसी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, लचीली समय-सारणी तथा विद्यालय में उपलब्ध मानवीय, भौतिक एवं वित्तीय संसाधनों के सहयोग के बिना संभव नहीं है। यहाँ तक की कुछ विषयों की विषयवस्तु की प्रकृति के अनुसार विद्यार्थियों के लिए गतिविधि आयोजित करने से पूर्व उनके अभिभावकों से भी अनुमति प्राप्त करना ज़रूरी होता है।

इस प्रकार रिफ़्लेक्टिव शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सहज़, सरल, रुचिकर व अधिगम योग्य बनाने में प्राचार्य या विद्यालयी प्रशासन, शिक्षक, साथी विद्यार्थी-शिक्षक, विद्यार्थी, अन्य सह-कर्मचारियों एवं अभिभावकों का सहयोग आवश्यक है।

अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता

बिना अवलोकन एवं अवलोकनकर्ता के रिफ़्लेक्टिव शिक्षण संभव नहीं है। अत: विद्यार्थी-शिक्षक में अवलोकन करने का कौशल तथा अवलोकनकर्ता द्वारा दिए गए फ़ीडबेक पर चर्चा करने की क्षमता होना अत्यंत आवश्यक है। रिफ़्लेक्टिव शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी-शिक्षक द्वारा कक्षा में किए गए व्यवहारों एवं गतिविधियों के प्रत्येक पहलुओं का अवलोकन करना आवश्यक है। जो स्वयं द्वारा बनाई गई या पूर्व में विकसित अवलोकन अनुसूचियों, निष्पादन सूचकों, मोबाइल (स्मार्टफ़ोन) से ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग, आलोचनात्मक मूल्यांकन, जाँच परख आदि के आधार पर किया जा सकता है। यह कार्य साथी विद्यार्थी-शिक्षकों, विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों, आदि के सहयोग से करना होगा।

इस प्रकार विद्यार्थी-शिक्षक, अवलोकनकर्ता द्वारा दिए गए फ़ीडबेक या मोबाइल (स्मार्टफ़ोन) द्वारा की गई ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग को सकारात्मक रूप से स्वीकार करते हुए अपने शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों के मज़बूत एवं कमज़ोर पक्षों की पहचान कर निरन्तर शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकेगा। इसके अलावा विद्यार्थी-शिक्षक, स्वयं अपने शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों से प्राप्त अनुभवों को लिखकर (रिफ़्लेक्टिव जर्नल) तथा उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन कर शिक्षण में सुधार कर सकता है। साथ ही, अपने साथी विद्यार्थी-शिक्षकों एवं पेशेवर शिक्षकों के साथ स्वयं द्वारा लिखे गए रिफ़्लेक्टिव जर्नलों पर समूह चर्चा या विचार-विमर्श कर अपने शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। इस गतिविधि से विद्यार्थी-शिक्षक को सैद्धांतिक तथा विद्यालय के अंदर एवं बाहर के अधिगम को ज्ञान के सृजन के रूप में अवलोकन करने का अवसर मिल सकेगा।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एन.सी.टी.ई.) के रेग्यूलेशन, 2014 द्वारा समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यार्थी-शिक्षकों में शिक्षण-अधिगम क्रियाकलापों से जुड़े तमाम कौशलों एवं क्षमताओं को विकसित करने का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। अब इस रेग्यूलेशन को संवेदनशीलता पूर्वक क्रियान्वित करने की ज़रूरत है। जिसमें देश के तमाम विश्वविद्यालयों, शिक्षक-शिक्षा संस्थानों तथा विद्यालयों की अहम भूमिका होगी। चूँकि यह शिक्षक-शिक्षा प्रोग्राम समाज के लिए हैं। अत: इन प्रोग्रामों को समाज के हित में क्रियान्वित करवाने की ज़िम्मेदारी भी समाज की ही होगी। जिसमें सरकारी या प्रशासनिक तंत्र द्वारा संवैधानिक मूल्यों का पालन करते हुए पारदर्शिता पूर्वक अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। तभी हम एक श्रेष्ठ समाज या राष्ट्र का नवनिर्माण कर सकेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि एक सामाजिक संवेदनशील राष्ट्र का निर्माण वास्तव में विद्यालयों में शिक्षकों द्वारा किया जाता है।

संदर्भ

एन.सी.ई.आर.टी. 2006. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005*. नयी दिल्ली।

_____. 2007. *मननशील शिक्षक,* नयी दिल्ली।

भारत सरकार– *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम- 2009*, भारत का राजपत्र संख्या-39, अगस्त 27, 2009, नयी दिल्ली।

DEWEY, J. 1916. *Democracy and Education :* An Introduction to the philosophy of education. New York : Macmillan.

http://careervendor.com/results/ctet-result-sept-2014-exam/

HOLT, J. 1964. *How Children Fail* (revised ed.), Penguin.

MHRD. 2012. *Vision of teacher education in India: Quality and regulatory perspective:* Report of the High Powered Commission on Teacher Education constituted by Hon'ble Supreme Court of India (Vol.I). New Delhi: Department of School Education and Literacy and National Council of Teacher Education.

NCERT. 2012. *Syllabus for Two-year Bachelor of Education.* New Delhi: National Council of Educational Research and Training.

NCTE. 2009. *National curriculum framework for teacher education: Towards preparing professional and humane teachers*. New Delhi

_____. 2015. *Curriculum Framework of Diploma in Elementary Teacher Education (D.El.Ed.) Programme*. Retrieved from http://www.ncte- india.org/ Curriculum%20Framework/ D.El. Ed%20Curriculum.pdf

_____. 2015. *Curriculum Framework: Two - Year B.Ed. Programme.* Retrieved from http://www.ncte-india.org/Curriculum%20Framework/B.Ed%20Curriculum.pdf

———. 2014. Retrieved from http:// www.ncte-india.org/regulation2014/regulation%202014%28main%29.asp

SCHON, D.A. 1983. *The Reflective Practitioner :* How Professionals Think in Action. New York: Basic Books.

SUE, DYMOKE AND JENNIFER HARRISON (ED.) 2010. *Reflective Teaching and Learning*. New Delhi: Sage Publication Pvt. Ltd.